

प्ररूप जीएसटी आरईजी-31

[नियम 21क देखें]

संदर्भ सं.

तारीख: <दिन><माह><वर्ष>

सेवा में,

जीएसटीआईएन:

नाम:

पता:

रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने के लिए सूचना और रद्दीकरण के लिए नोटिस

निम्नलिखित की तुलना में, यथा,

- (i) अपने माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अंतर्गत भरे गए विवरणी;
- (ii) अपने प्ररूप जीएसटीआर -1 में भरे गए बाह्य आपूर्तियाँ का ब्यौरा;
- (iii) अपने आवक आपूर्तियों का ऑटो जनरेटेड ब्यौरा,  
\_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि से संबंधित;
- (iv) ..... (स्पष्ट करें)

और अन्य उपलब्ध जानकारी के मिलान में निम्नलिखित विसंगति/असंगति का पता चला है:

- टिप्पणी 1
- टिप्पणी 2

□ टिप्पणी 3

(करदाता के सुसंगत मानदण्डों के आधार पर जीएसटीएन द्वारा भरा जाने वाला ब्यौरा).

2. प्रथम दृष्टया विषंगतियों/अषंगतियों से यह प्रकट होता है कि इनसे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों और इनके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन दर्शित करती है कि यदि इनका संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो आपके रजिस्ट्रीकृत को रद्दीकरण के लिये दायी होगा ।
3. इस बात पर विचार करते हुए कि उपर्युक्त विषंगतियां/अषंगतियां इतनी गंभीर हैं और इनसे राजस्व संबंधी हित पर गंभीर खतरा पैदा हुआ है अतः क तात्कालिक उपाय के रूप में आपके रजिस्ट्रीकरण को नियम 21क के उपनियम (2क) के अनुसार इस सूचना की तारीख से रद्द कर दिया जाता है।
4. आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवस के भीतर अधिकार क्षेत्र वाले कर अधिकारी के पास अपना उत्तर प्रस्तुत कर दें जिसमें इस संदेश के अनुबंध में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ-साथ उपर्युक्त विषंगति/अषंगति के बारे में अपना स्पष्टीकरण दे दें। यदि जीएसटी के सामान्य पोर्टल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरीके से आपके दस्तावेजों का दुरुपयोग किये जाने की संभावना हो तो उसको भी विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र वाले अधिकारी की जानकारी में लाया जाये।
5. आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये कागजातों के साथ-साथ आपके उत्तर से अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी यदि संतुष्ट होता है और अन्य किसी सत्यापन से जिसे उक्त अधिकार क्षेत्र वाला अधिकारी आवश्यक समझता है तो आपके रजिस्ट्रीकरण के आस्थगन को हटाया जा सकता है ।
6. आप कृपया यह नोट कर लें कि यदि आप इस अनुबंध में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट अवधि में अपना उत्तर नहीं दे देते हैं या कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं तो आपके रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है।

नाम:

पदनाम:

नोट: यह एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस है और इसके जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।”.